VEGFED

बिहार सरकार

सहकारिता विभाग

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत मानव संचालन प्रक्रिया (SOP)।

अनुक्रमाणिका

1. परिचय
2. संस्थागत व्यवस्था
3. प्रशासनिक व्यवस्था
4. वित्तीय व्यवस्था
5. तकनीकी नवीनीकरण

1. परिचय

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना को लागू कराने के उद्देश्य से सहकारिता विभाग के संकल्प ज्ञापांक 8529 दिनांक 01.11.2017 (अनुलग्नक 1) के माध्यम से राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है । इसी क्रम में सहकारिता विभाग के संकल्प ज्ञापांक 10615, दिनांक 05.12.2018 (अनुलग्नक 2) के द्वारा योजना अंतर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था तथा कार्यभार की स्वीकृति दी गयी है । योजना का क्रियान्वयन त्रिस्तरीय संरचना के माध्यम से किया जा रहा है जिसमे प्रखंड स्तर पर बिहार सहकारी समितियां अधिनियम 1935 अंतर्गत निबंधित प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समिति (PVCS), क्षेत्रीय स्तर पर कुछ जिलों के PVCS को मिलाकर सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ तथा शीर्ष स्तर (राज्य स्तर) पर सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन (VEGFED) का गठन किया गया है |

इस योजना का दृष्टिकोण (Vision), मिशन (Mission), उद्देश्य (Objective) निम्नवत है :-

(1.1) **दृष्टिकोण (Vision)** :- बिहार को सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन के क्षेत्र में एक अग्रणी, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर 'Role Model' राज्य के रूप में स्थापित करना

है, जो किसानों को उनके उत्पाद का उच्चतम मूल्य सुनिश्चित कर उनकी स्थायी आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करेगा |

(1.2) **मिशन (Mission)**:- योजना का उद्देश्य किसानो को सशक्त बनाते हुए उत्पादन, संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन की एकीकृत प्रणाली विकसित करना, पारदर्शी मूल्य- श्रृंखला, आधुनिक तकनीक और सहकारी ढाँचे के माध्यम से सब्जी क्षेत्र का सतत एवं लाभकारी विकास सुनिश्चित करना |

(1.3) **<u>उद्देश्य (Objective)</u>:-** बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का मुख्य उद्देश्य सब्जी के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, सब्जी उत्पादकों को उत्पादन का सही मूल्य दिलाना, vegetable supply chain को प्रभावी बनाना, post harvest losses को कम करना, उपभोक्ताओं को अत्यधिक मूल्य से राहत दिलाना एवं सब्जी क्षेत्र में मूल्य संवर्धन करना है | योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य अंतर्गत सभी सब्जी उत्पादक किसानो को PVCS के माध्यम से सहकारिता में समावेश करना, पंचायत स्तर पर सब्जी उत्पादक किसानो के उत्पाद को संग्रहण करने हेतु संग्रहण की व्यवस्था स्थापित करना, प्रत्येक प्रखंड स्तरीय PVCS में सब्जी संग्रहण केंद्र, मिनी कोल्ड स्टोरेज, शोर्टिंग, ग्रेडिंग, शेड, सब्जी वाहन के लिए लिफ्टिंग प्लेटफार्म आदि का निर्माण करना, योजना से जुड़े सब्जी उत्पादक किसानो को आवश्यक तकनीकी, संस्थागत, सब्जी उत्पादक किसानो को आधुनिक कृषि तकनीको, फसल विविधिकरण एवं गुणवत्ता मानको पर प्रशिक्षित करना एवं योजना अंतर्गत तीनो स्तर की सहकारी समितियों को वित्तीय रूप से आत्म-निर्भर बनाना है |

2. <u>संस्थागत व्यवस्था (त्रिस्तरीय संरचना)</u>

2.1. प्रखंड स्तर (PVCS):- प्रखंड स्तर पर प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति का गठन होना है। प्रखंड स्तरीय सब्जी समितियों के सदस्य सब्जी उत्पादक किसान होंगे। प्राथमिक समितियाँ अपने सदस्यों से सब्जी प्राप्त कर सब्जी संग्रहण, sorting, grading, विपणन तथा सहकारी संघ को सब्जी आपूर्ति करने का काम करेगी। इस कार्य हेतु प्रखंड की सब्जी समितियों के क्षेत्र में संग्रहण केन्द्र, मिनी कोल्ड स्टोरेज, sorting, grading शेड, सब्जी वाहन के लिए lifting प्लेटफार्म आदि सहित सब्जी संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु आधारभूत संरचना का निर्माण किया जायेगा । राज्य के सभी 534 प्रखंडो में बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 अंतर्गत PVCS निबंधित की जाएगी | **<u>(अनुलग्नक 3- PVCS हेतु आदर्श उपविधि)</u>**

2.2 क्षेत्रीय स्तर (संघ):- क्षेत्रीय स्तर पर कुछ जिलों के PVCS मिलाकर सब्जी प्रसंस्करण एव विपणन सहकारी संघ का गठन किया जायेगा | सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ सहकारी संरचना अंतर्गत केन्द्रीय समिति के रूप में कार्य संचालित करेंगी | सब्जी संघ अपने क्षेत्र अंतर्गत पूरे प्रसंस्करण एवं विपणन व्यवस्था की धुरी के रूप में कार्य करेगा। संघ, प्राथमिक सब्जी समितियों से प्राप्त सब्जी का शीत संग्रहण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्द्धन एवं विपणन

व्यवस्था का कार्य करेगा | सहकारी संघ प्राथमिक समितियों को आवश्यक तकनीकी, संस्थागत, कृषि उत्पादन एवं साख सेवाएँ उपलब्ध करायेंगे | योजना अंतर्गत सभी सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन संघ बिहार सहकारी अधिनियम 1935 अंतर्गत निबंधित किये जायेंगे | **(अनुलग्नक 4- सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन संघ हेतु उपविधि)** | माननीय मंत्री सहकारिता विभाग की अध्यक्षता में आहूत उच्च स्तरीय एजेंसी की बैठक दिनांक 24.07.2025 में लिए गये निर्णय के आलोक में राज्य अंतर्गत कुल 9 सब्जी संघों के गठन हेतु सहकारिता विभाग के अधिसूचना संख्या 2724 दिनांक 06.06.2025 **(अनुलग्नक 5)** निर्गत है, जिसके अनुसार 9 सब्जी संघों का गठन एवं उनका कार्यक्षेत्र निम्नवत होगा :-

क्रम सं०	सहकारी संघ का नाम	संघ के जिलें
1	हरित	a) पटना b) नालंदा c) समस्तीपुर d) बेगुसराय e) वैशाली
2	तिरहुत	a) मुजफ्फरपुर b) सीतामढ़ी c) पूर्वी चंपारण d) पश्चिमी चंपारण e) शिवहर
3	मिथिला	a) दरभंगा b) मधुबनी c) सुपौल d) सहरसा e) मधेपुरा
4	मगध	a) गयाजी b) नवादा c) जहानाबाद d) अरवल e) औरंगाबाद
5	सारण	a) सिवान b) सारण c) गोपालगंज
6	शाहाबाद (सासाराम)	a) भोजपुर b) बक्सर c) कैमूर d) रोहतास
7	पूर्णिया	a) किशनगंज b) अररिया c) पूर्णिया d) कटिहार
8	मुंगेर	a) शेखपुरा b) नवादा c) जमुई d) लखीसराय e) मुंगेर
9	भागलपुर	a) भागलपुर b) बांका

2.3 राज्य स्तर (फेडरेशन): राज्य स्तर पर बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि० (VEGFED) का गठन बिहार सहकारिता अधिनियम 1935 अंतर्गत किया गया है | फेडरेशन का मुख्य कार्य सम्पूर्ण व्यवस्था को पेशेवर नेतृत्व प्रदान करना, सब्जी संघों के बीच व्यवसायिक समन्वय स्थापित करना सभी तरह के forward एवं Backward Linkages का Integration सुनिश्चित करना, राज्य के अन्दर, राज्य के बाहर एवं देश के बाहर विपणन की व्यवस्था कराना, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास की व्यवस्था कराना, बाह्य परिवेश (external environment) का प्रबंधन आदि है | **(अनुलग्नक 6- सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि० (VEGFED) हेतु By laws) |**

2.4 वर्तमान व्यवस्था : पायलट बेसिस पर योजना के सफल शुरुआत के बाद राज्य अंतर्गत प्रखंड स्तर पर 534 प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति एवं क्षेत्रीय स्तर पर 6 संघों का गठन किया जा चुका है |

3. **प्रशासनिक व्यवस्था**

सहकारिता विभाग के संकल्प ज्ञापांक 10615 दिनांक 05.12.2018 के कंडिका 5 में निम्न प्रावधान हैं :-

"...(5) प्रशासनिक व्यवस्था एवं राज्य सरकार की भूमिका

(क) स्थापना व्यय

(i) प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियाँ सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ एवं सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन के कर्मियों के वेतनादि एवं अन्य स्थापना व्यय तथा क्षमता निर्माण एवं अनुश्रवण हेतु 03 वर्ष के लिए 100% अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी | (मंत्रिपरिषद संलेख की कंडिका 10 (3) ग)

(ii) Special Purpose Vehicle के संचालन एवं स्थापना व्यय (वेतनादि सहित) हेतु वित्तीय सहायता 100% सहायक अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी (मंत्रिपरिषद संलेख की कंडिका 10 (3) ख)

(iii) बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना एक पूर्णतः नई व्यवस्था है। इसमें प्रशासनिक व्यवस्था को पूर्ण स्वरूप देने के लिए 3 चरणों में व्यवस्था प्रस्तावित है।

(क) तात्कालिक व्यवस्था

(ख) अल्पकालीन व्यवस्था

(ग) नियमित व्यवस्था ..."

वर्तमान स्तिथि यह है की परिसंघ (VEGFED) के निबंधन एवं संचालन का 5 वर्ष पूर्ण हो चुका है एवं उक्त संकल्प के त्रि-चरानिये प्रशासनिक व्यवस्था के विभिन्न प्रावधानों को समय समय पर प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षकीय आवश्यकताओं के मद्देनजर लागू किया जाता रहा है। वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था जो लागू किया जाना प्रस्तावित है वह निम्नवत् है:-

3.1 **फेडरेशन स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था**

क्रम	पदनाम	प्रस्तावित संख्या	वर्तमान स्तिथि	अभ्युक्ति
i	प्रबंध निदेशक	01	01	15 वर्षों के अनुभवी Agri Business Management योग्यता प्राप्त पदाधिकारी राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति के आधार पर अथवा बिहार विकास मिशन से नियुक्त पदाधिकारी। (उपविधि की कण्डिका 25.25-अनुलग्नक 6)
ii	उप प्रबंध निदेशक	01	00	संयुक्त निबंधक, सहयोग समितिया अथवा MBA डिग्री प्राप्त राज्य सरकार के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी

क्रम	पदनाम	प्रस्तावित संख्या	वर्तमान स्तिथि	अभ्युक्ति
iii	(i) राज्य प्रबंधक (Inputs, Extn & Trg) (ii) राज्य प्रबंधक (Purchase) (iii) राज्य प्रबंधक (Marketing) (iv) राज्य प्रबंधक (Production) (v) राज्य प्रबंधक (HR & Admin) (vi) राज्य प्रबंधक(Finance & Accounts) (vii) राज्य प्रबंधक (IT, MIS, Monitoring & Evaluation)	07	6 (3 बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी अतिरिक्त प्रभार में एवं 3 राज्य प्रबंधक HR एजेंसी द्वारा हायरिंग।	राज्य प्रबंधक श्रेणी में सहायक निबंधक स० स०/उप निबंधक स० स० स्तर के पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए जायेंगे। इसके अतिरिक्त सज्य प्रबंधक स्तर पर प्रतिनयुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से योग्यता प्राप्त कर्मियों को आवश्यकतानुसार समय-समय पर बहाल किया जा सकेगा। दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारिता प्रशिक्षण संस्था द्वारा समर्पित DPR के पृष्ट 115-126 पर सभी पदों के लिए योग्यता, अनुभव और कार्य जिम्मेवारी का उल्लेख है (अनुलग्नक 4)
iv	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	09	07	सब्जी विषयक प्रशिक्षण प्राप्त सहकारिता विभाग से प्रतिनियुक्त पदाधिकारी।
v	अंकेक्षक	01	00	सहकारिता विभाग अंतर्गत अनुमंडल अंकेक्षक/ अंकेक्षक संवर्ग से प्रतिनियुक्त पदाधिकारी
v	सहायक staff	07	3	लिपिकीय संवर्ग से प्रतिनियुक्त कर्मी/outsourcing के मध्यम से बहाल कर्मी
vi	डेटा एंट्री ऑपरेटर	05	3	outsourcing के मध्यम से प्राप्त कर्मी

क्रम	पदनाम	प्रस्तावित संख्या	वर्तमान स्तिथि	अभ्युक्ति
vii	अनुसेवक	02	1	सरकार से प्रतिनियुक्त/outsourcing के मध्यम से प्राप्त
	कुल योग :	33	21	

3.1.1 PMU/PMC की व्यवस्था:

उपरोक्त पदाधिकारियों/कर्मियों के अतिरिक्त संबधित क्षेत्र विशेषज्ञों को आवश्यकतानुसार समय समय पर निविदा के मध्यम से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU)/ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स (PMC) बहाल किए जायेंगे जो योजना को वांछनीय दिशा देगी। इस पर होने वाले वितीय भार का 100% वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

PMU का स्वरूप निम्नवत् होगा जो पूर्ण रूपेण फेडरेशन के नियंत्रण में रहेगी एवं फेडरेशन तथा संघ स्तर पर एक्सपर्ट टीम के रूप में काम करेगी:

स्तर	पद का नाम	प्रस्तावित संख्या	वर्तमान स्तिथि	शैक्षणिक योग्यता (संक्षेप में)
वेजफेड स्तर	Team Leader	1	1	MBA/PGDM in Agri Business
	Agriculture Expert	1	1	MSc in Agri/Horticulture
	Infrastructure Specialist	1	1	B. Tech in Civil Engineering
	Capacity Building Expert	1	1	PG in Rural Development
	Logistics Coordinator	1	1	PG in Logistics Management
	IT Consultant	1	1	B.Tech/MCA/MSc in IT
	Total	6	6	
संघ स्तर	Training Coordinator	9	3(3 संघ हेतु)	PG in Rural Development/Agriculture
	Logistics Coordinator	9	3(3 संघ हेतु)	Graduate in Logistics Management
	Total	18	6	
	Grand total	**36**	**12**	

<u>(**अनुलग्नक** 7- PMC चयन हेतु RFP एवं एग्रीमेंट)</u>

3.2 संघ स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था –

क्रम	पदनाम	प्रस्तावित संख्या	वर्तमान स्तिथि	अभ्युक्ति
i	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	09 (प्रति एक संघ में 1)	5 (सहायक निबंधक स0 स0 संवर्ग के पदाधिकारी अतिरिक्त प्रभार में)	अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी जिसे 10 वर्षो का Agri में अनुभव तथा Business Management योग्यता (सम्प्रति संयुक्त निबंधक, स.स., पटना प्रमंडल को प्रभार है)
ii	जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	38	38 (सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग के पदाधिकारी प्रतिनियुक्त)	संबंधित जिलों के जिला सहकारिता पदाधिकारी योजना अंतर्गत जिला स्तर पर पूर्ण योजना के प्रभार में रहेंगे।
iii	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	1X9=9 1X38=38	00	प्रत्येक संघ पर 01 एवं प्रत्येक जिला में 01 सहकारिता प्रसार पदाधिकारी
iv	(i) जिला/ क्षेत्रीय प्रबंधक (Inputs, Extn & Trg) (ii) जिला/ क्षेत्रीय प्रबंधक (Purchase) (iii) जिला/ क्षेत्रीय प्रबंधक (Marketing) (iv) जिला / क्षेत्रीयप्रबंधक (Production)	7X9= 63	09 (3 संघ में जिला प्रबंधक वित्त एवं लेखा, जिला प्रबंधक एग्री बिज़नेस मैनेजमेंट एवं जिला प्रबंधक पणन HR एजेंसी के	जिला प्रबंधक श्रेणी में वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/सहकारिता प्रसार पदाधिकारी स्तर के पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए जायेंगे। इसके अतिरिक्त जिला/ क्षेत्रीय प्रबंधक स्तर पर प्रतिनयुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से योग्यता प्राप्त कर्मियों को आवश्यकतानुसार समय-समय पर

	(v) जिला/ क्षेत्रीय प्रबंधक (HR & Admin) (vi) जिला / क्षेत्रीय प्रबंधक(Finance & Accounts) (vii) जिला / क्षेत्रीय प्रबंधक (IT, MIS, Monitoring & Evaluation)		मध्यम से हायरिंग)	बहाल किया जा सकेगा। दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारिता प्रशिक्षण संस्था द्वारा समर्पित DPR के पृष्ट 98- 114 पर सभी पदों के लिए योग्यता, अनुभव और कार्य जिम्मेवारी का उल्लेख है (अनुलग्नक 5)
v	सहायक	1X9=9	00	लिपिकीय संवर्ग से प्रतिनियुक्त कर्मी/outsourcing के मध्यम से बहाल कर्मी
vi	Support Staff	5x9=45	15 (3 संघ हेतु HR एजेंसी के मध्यम से हायरिंग)	प्रत्येक संघ पर 03 Support staff एवं 02 Support staff (Hub)
vii	डेटा एंट्री ऑपरेटर	2X9=18	6 (3 संघ हेतु HR एजेंसी के मध्यम से हायरिंग)	outsourcing के मध्यम से प्राप्त कर्मी
viii	अनुसेवक	1X9=9	00	सरकार से प्रतिनियुक्त/outsourcing के मध्यम से प्राप्त
	कुल योग :	238	73	

3.3 प्रखंड स्तरीय सब्जी सहकारी समिति के लिए प्रबंधक, सहायक प्रबंधक एवं अन्य :-

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) के पृष्ठ 96 पर प्रत्येक प्रखंड स्तरीय सब्जी समिति के लिए (i) एक प्रबंधक (ii) दो सहायक प्रबंधक और (iii) आवश्यकतानुसार 2 से 4 तक कृषि समन्वयक की नियुक्ति की व्यवस्था है। प्रबंधक और सहायक प्रबंधक को मासिक वेतन पर नियुक्ति की व्यवस्था की गई है जबकि कृषि समन्वयक को मासिक सेवा चार्जेस मिलेंगे जो उनके कार्य की उपलब्धि पर आधारित होगा। वर्तमान में 543 प्राथमिक सब्जी सहयोग समिति का निबंधन हो चुका है। इस प्रकार 543 सहायक प्रबंधक एवं 543X 1 = 543 सहायक प्रबंधक की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त प्रति PVCS पर 01 सब्जी पर्यवेक्षक, कुल 543 सब्जी पर्यवेक्षक की आवश्यकता होगी।

वर्तमान में कुल 296 सहायक प्रबंधक, PVCS एवं 99 सब्जी पर्यवेक्षक के पदों हेतु मानव संसाधन प्रदाता एजेंसियों का चयन निविदा के मध्यम से करते हुए किया जा रहा है। (**<u>अनुलग्नक 8-</u>** HR एजेंसी RFP एवं अनुबंध)

3.4 कार्यालय व्यवस्था-

(3.4.1) फेडरेशन के लिए न्यूनतम 10 कमरें एवं 03 हॉल (अध्यक्ष + प्रबंध निदेशक + उप प्रबंध निदेशक + राज्य प्रबंधक + PMU + कार्यालय स्टॉफ के लिए) का पूर्ण सुविधायुक्त कार्यालय और उपस्कर। फेडरेशन के लिए 03 भाड़े के वाहन की व्यवस्था की जाएगी।

(3.4.2) प्रत्येक संघ के लिए न्यूनतम 04 कमरें एवं 01 हॉल (अध्यक्ष +मुख्या कार्य पालक पदाधिकारी + जिला/क्षेत्रीय प्रबंधक + PMU + कार्यालय स्टॉफ के लिए) का पूर्ण सुविधायुक्त कार्यालय और उपस्कर। प्रत्येक संघ के लिए 02-02 भाड़े के वाहन की व्यवस्था की जाएगी।

(3.4.3) सब्जी संग्रहण केंद्र हेतु आधारभूत संरचना योजना से आच्छादित PVCS का कार्यालय संग्रहण केंद्र परिसर में स्थित कार्यालय होगा| जो PVCS इस योजना से आच्छादित नही हैं, उनका कार्यालय समिति के उपविधि के अनुसार स्थापित कार्यालय ही अधिकारिक कार्यालय मान्य होगा||

(3.4.4) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) के आलोक में PVCS कार्यालय को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक PVCS कार्यालय हेतु आवश्यक उपकरण प्रदान की जायेगी जिससे वे प्रभावी

रूप से काम कर सकें और व्यवसाय को बढ़ावा दे सकें| इस हेतु प्रत्येक PVCS में विभिन्न उपकरण के करे हेतु दिया जाना है| (**अनुलग्नक 9-** PVCS में बुनियादी उपकरण/उपस्कर की योजना)

3.5. असैनिक (Civil) एवं तकनीकी (Technical) कार्यो का कार्यान्वयन

3.5.1 योजना में कई असैनिक (Civil) कार्य कराए जाने हैं। इसके लिए Project Management Unit (PMU) एवं संघ द्वारा अधिकृत असैनिक अभियंता से नक्शा, प्राक्कलन, डिजायन तैयार कराया जायेगा तथा जिले के उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जिला के अधिकृत सरकारी अभियंता के माध्यम से कार्य (जिला में गोदाम निर्माण योजना की तर्ज पर) निष्पादन कराया जाएगा। जिस समिति में यह Civil कार्य कराया जायेगा, वही उसकी कार्यान्वयन एजेंसी होगी।

3.5.2 योजनान्तर्गत तकनीकी (Technical) कार्यों के संपादन हेतु एजेंसी का निर्धारण संघ द्वारा किया जायेगा।

3.5.3 वर्तमान में VEGFED अंतर्गत योजना में प्रगति लाने के उद्देश से layout हेतु BSWC अधिकृत किया गया है एवं प्याज़ भंडारण योजना/रिटेल आउटलेट निर्माण योजना हेतु स्थानीय अभियंता/राजमिस्त्री द्वारा लेआउट करने हेतु अधिकृत किया गया है।

3.6. मा0 मंत्री, सहकारिता विभाग की अध्यक्षता में गठित एजेंसी: इस योजना के सफल संचालन एवं कार्यान्वयन के लिए नीतिगत निर्णयों हेतु माननीय सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय एजेंसी गठित है, जिसके सदस्य कई संबंधित विभागों के संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी हैं।

3.7. **स्थापना से सम्बन्धित वैधानिक प्रावधान :-**त्रिस्तरीय सहकारी संरचना में प्रखंड स्तरीय सब्जी सहकारी समिति, क्षेत्रीय सब्जी संघ और राज्य स्तरीय सब्जी फेडरेशन का निबन्धन बिहार सहकारिता अधिनियम 1935 के तहत् किया जा रहा है। अतः त्रिस्तरीय सहकारी समितियों में बिहार सहकारिता अधिनियम 1935 के प्रावधान लागू होंगे। बिहार सहकारिता अधिनियम 1935 की धारा 66 (ख) में सहकारी समितियों की कार्मिक नीति का विवरण निम्नांकित है :-

सहकारी समितियों को अपनी उपविधियों में उल्लिखत प्रावधानों के अनुसार समिति के कार्मिकों के पदों के स्वरुप और संख्या तथा कार्मिकों की भर्ती रीति अवधारित करने की स्वायत्तता होगी।

इस प्रयोजनार्थ सहकारी समिति अपनी कार्मिक नीति बना सकेगी। सहकारी समितियाँ अपनी उपविधियों के प्रावधानों एवं कार्मिक नीति के अधीन रहते हुए अन्य के बीच निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेगी :-

(क) पात्रता, आयु और अनुभव

(ख) वेतनमान और अन्य उपलब्धियाँ

(ग) भर्ती की रीति

(घ) सेवा की शर्ते और

(ङ) अपनाई जानेवाली अनुशासनिक प्रक्रिया

उपविधियों के प्रावधानों एवं कार्मिक नीति का अतिलंघन में की गई नियुक्ति शून्य समझी जाएगी, माने ऐसी नियुक्ति कभी विद्यमान नहीं थी एवं वेतन तथा अन्य भत्तों के रूप में किए गए भुगतान की राशि, यदि कोई हो, धारा-40 के अधीन वसूलनीय होगी।

योजना के पूर्णतः अस्तित्व में आने के बाद फेडरेशन के नेतृत्व में बिहार सहकारिता अधिनियम 1935 की धारा 66 B के तहत सेवा नियमावली तैयार करके नियुक्तियाँ की जा सकेंगी।

वर्तमान में तत्काल HR एजेंसी के मध्यम से VEGFED द्वारा PVCS को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सहायक प्रबंधकों एवं सब्जी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जा रही है।

4. वित्तीय व्यवस्था

(4.1) मंत्रिपरिषद संलेख की कंडिका 10 (3) के अनुसार वित्तीय व्यवस्था निम्नांकित है :-

(4.1.1) राज्य सरकार द्वारा मुख्य रूप से प्राथमिक प्राथमि सब्जी उत्पादक सहकारी समिति, सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ तथा सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन के अंतर्गत आधारभूत संरचना की स्थापना तथा कार्यशील पूंजी हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

(4.1.2) उपर्युक्त खंड (क) के अतिरिक्त Special Purpose Vehicle के संचालन एवं स्थापना व्यय (वेतनादि सहित) हेतु वित्तीय सहायता 100% सहायक अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

(4.1.3) प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों, सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ एवं सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन के कर्मियों के वेतनादि एवं अन्य स्थापना

व्यय तथा क्षमता निर्माण एवं अनुश्रवण हेतु 03 वर्ष के लिए 100% अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

(4.1.4) उपर्युक्त वर्णित तीनों स्तर की सहकारी समितियों में आधारभूत संरचना के विकास एवं अन्य मदों के लिए सब्जी प्रसंस्करण एवं विपपणन योजना प्राधिकार द्वारा यथानिर्णित राज्य योजना अथवा राष्ट्रीय सहकारी विकास योजना (RKVY) अथवा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) अथवा ग्रामीण आधारभूत सरंचना विकास निधि (Rural Infrastructure Development Fund) से अथवा अन्य उपलब्ध स्रोत से उपलब्ध करायी जा सकेगी।

(4.1.5) Special purpose vehicle भारत सरकार की सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध योजनाओं यथा, Mission for Integrated Development of Horticulture, The Vegetable Initiatives for Urban Clusters आदि से Back ended अनुदान प्राप्त करने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करेगी। उक्त आलोक में समितियों को प्राप्त अनुदान का उपयोग राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे ऋण की वापसी के प्रयोजनार्थ किया जा सकेगा।

(4.2) राज्य मंत्रिपरिषद के निर्णय के आलोक में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एव विपणन योजनान्तर्गत दो चरणों में लगभग 1750 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

(राशि लाख रु. में)

Sl. No.	Head	Phase I	Phase II	Total
1	Land (50 acre @ 10 lakhs/kattha) for one centralized unit	11770.00	35310.00	47080.00
2	Civil Construction	1752.60	5257.00	7010.40
3	Plant & Machines & Other Fixed assets	5155.38	15466.14	20621.52
4	Baseline survey, Mobilization & ICT enabled services Cost	660.00	1980.00	2640.00
5	Advertisement/Branding Cost	50.00	150.00	200.00
6	Electrical fitting (Inclusive of security Deposit of BSEB)	12.00	360.00	480.00
7	PVCS Set Up Cost (No. 80)	1648.00	4944.00	6592.00
8	Rural market set up cost (No. 80)	2000.00	6000.00	8000.00
9	Retail outlet set up cost	2250.00	6750.00	9000.00
10	Preliminary & Pre Operative Exp.	100.00	300.00	400.00
11	Contingency @ 10%	598.54	1795.62	2394.16
12	Working Capital	10301.38	30904.14	41205.52

13	Operative expenses	7347.84	22043.52	29391.36
	Total	**43753.74**	**131261.22**	**175014.96**

Assumptions | In Second Phase there is Investment in New Plants, Machineries and Equipments.

4.3. **वित्तीय सहायता का स्वरुप :-**

(4.3.1) PVCS **हेतु हिस्सा पूंजी /ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था :-** बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजनान्तर्गत प्रत्येक प्रखंड स्तरीय समितियों को 20 लाख 60 हजार रुपये अधिसंरचना स्थापित करने हेतु दिए जाने है। जिसमें राज्य सरकार की हिस्सा पूंजी, ऋण (ब्याज सहित/ब्याज रहित) एवं अनुदान दिया जाना है।

(4.3.2) **क्षेत्रीय संघ हेतु राशि की व्यवस्था :-** बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजनान्तर्गत गठित क्षेत्रीय संघ को भी राज्य सरकार की हिस्सा पूंजी, ऋण (ब्याज सहित / ब्याज रहित) एवं अनुदान के रूप में राशि उपलब्ध कराया जायेगा।

(4.3.3) **फेडरेशन हेतु हिस्सा पूंजी /ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था :-** राज्य स्तरीय फेडरेशन (प्रस्तावित) को हिस्सा पूंजी, ऋण (ब्याज रहित / ब्याज सहित) एवं अनुदान के रुप में राशि उपलब्ध कराया जायेगा। योजना के तीन वर्ष बीत जाने के बाद उपरोक्त समिति/संघ/फेडरेशन हेतु 25% हिस्सा पूंजी राज्य सरकार की होगी और 25% ऋण (ब्याज रहित/ब्याज सहित) तथा 50% अनुदान के रुप में उपलब्ध कराया जायेगा।

(4.3.4) VEGFED को राज्य सरकार से राशि ऋण/अनुदान के रूप में दी जाती है। ऋण के मद में प्राप्त राशि को कालांतर में वापस करना VEGFED का दायित्व है। परंतु VEGFED के पास आकस्मिक व्यय हेतु किसी प्रकार की निधि उपलब्ध नहीं है। प्रारंभ से अब तक सब्जी संघों द्वारा 155,609 MT का व्यवसाय किया गया है एवं समय के साथ इसमें वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में संघ के ट्रांजेक्शन की 1% राशि फेडरेशन स्तर पर आकस्मिक निधि के रूप में संधारित की जाएगी। इस कोष की राशि से ऋण का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जा सकेगा। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर फेडरेशन द्वारा सीधे संघों को भी ऋण/चक्रीय पूँजी के रूप में राशि दी जा सकेगी।

5. तकनीकी नवीनीकरण

तर्कारी मॉल परियोजना की सफलता, दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और प्रसंस्करण (Processing) नवाचारों का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाएगा।

5.1. डिजिटल एवं आईटी अवसंरचना (Digital and IT Infrastructure)

एक एकीकृत एवं केंद्रीकृत (Centralized) डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) स्थापित किया जाएगा:

5.1.1. समग्र ERP प्रणाली (Integrated ERP System)

परियोजना के संपूर्ण संचालन को स्वचालित (Automate) करने के लिए एक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ERP) मॉड्यूल लागू किया जाएगा, जिसमें निम्न कार्यप्रणाली (Modules) शामिल होंगे:

- सोर्सिंग एवं प्रोक्योरमेंट: किसानों/PVCS से क्रय प्रबंधन।
- इन्वेंटरी और वेयरहाउस प्रबंधन: स्टॉक स्तर, कोल्ड चेन मॉनिटरिंग और वेयरहाउसिंग का प्रबंधन।
- बिक्री और लॉजिस्टिक्स: ऑर्डर प्रोसेसिंग और डिलीवरी ट्रैकिंग।
- फाइनेंस और अकाउंट्स: CA एजेंसी (Tally) के माध्यम से लेखांकन (Accounting) और वैधानिक अनुपालन (Statutory Compliance) का एकीकरण।

5.1.2. बिक्री और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (Sales and E-commerce Platforms)

- तर्कारी मार्ट (Tarkaari Mart) - ऑनलाइन क्रय-विक्रय: उपभोक्ताओं के लिए वेब-आधारित और मोबाइल ऐप-आधारित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा, जिसके माध्यम से ताज़ी और संसाधित सब्जियों का ऑनलाइन क्रय-विक्रय सम्भव होगा।

- तर्कारी मंडी (Tarkaari Mandi): थोक खरीदारों (होटल, रेस्टोरेंट, संस्थान) के लिए एक विशिष्ट B2B ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म, जो संघ और थोक खरीदारों के बीच सीधा डिजिटल लिंकेज सुनिश्चित करेगा।
- PoS मशीन एप्लीकेशन: सभी 9 तर्कारी मॉल्स में त्वरित और त्रुटिहीन बिलिंग के लिए PoS मशीन एप्लीकेशन का उपयोग होगा, जिसमें सभी प्रकार की ऑनलाइन भुगतान प्रणालियाँ (Online Payment Systems) एकीकृत होंगी।

5.1.3. परिचालन प्रबंधन (Operational Management)

- मूल्य पूर्वानुमान प्रणाली (Pricing Forecast System): बाज़ार की आवक, मौसम की जानकारी और बाज़ार के रुझानों के आधार पर सब्जियों के मूल्य निर्धारण के लिए एक डेटा-चालित पूर्वानुमान मॉडल का विकास।
- ऑनलाइन परिसंपत्ति निगरानी प्रणाली (Online Asset Monitoring System): कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेशन और प्रोसेसिंग यूनिट्स में तापमान, नमी और उपकरण के प्रदर्शन की वास्तविक समय (Real-Time) निगरानी।

5.2. प्रसंस्करण नवाचार (Processing Innovations)

फसल कटाई के बाद के नुकसान (Post-Harvest Losses) को कम करने और 'ब्रांड तर्कारी' के लिए मूल्यवर्धित उत्पाद (Value-Added Products) बनाने हेतु आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा:

- डीहाइड्रेशन यूनिट (Dehydration Unit): सब्जियों को सुखाकर (जैसे प्याज, लहसुन, मेथी) लंबे समय तक संरक्षित करना।

- कोल्ड स्टोरेज (Cold Storage) एवं कोल्ड चेन: ताज़ी सब्जियों के लिए इष्टतम भंडारण की स्थिति बनाए रखना।
- IQF (Individual Quick Freezing): फ्रोजन सब्जियों के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग।
- पल्प/पेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट (Pulp/Paste Processing Unit): टमाटर, अदरक, लहसुन जैसी सब्जियों के लिए पल्प और पेस्ट बनाने की इकाइयों की स्थापना।

अधिप्राप्त किए गए सब्जी का उपरोक्त नवाचार अपनाते हुए प्रसंस्करण सब्जी संघ स्तर पर किया जाएगा।

5.3. ब्रांडिंग और किसान सशक्तिकरण

5.3.1 ब्रांडिंग:

- सभी मॉल्स, कार्यालयों और स्कीम स्थानों पर डिजिटल बोर्ड, होर्डिंग और बैनर का उपयोग।
- इंफ्लुएंसर मार्केटिंग (Influencer Marketing) और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल कंटेंट क्रिएशन के माध्यम से 'ब्रांड तर्कारी' का प्रचार-प्रसार।

5.3.2 किसान डिजिटल प्रशिक्षण (Farmer Digital Trainings):

- बैकवर्ड लिंकेज से जुड़े किसानों को गुणवत्ता मानक, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग के लिए नियमित रूप से ऑनलाइन और वीडियो-आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना।